चौथा संसार, इन्दौर
24 JUN 2011

साहूकारी पर सरकारी नियंत्रण से किसानों-गरीबों को होगा लाभ

मध्यप्रदेश सरकार ने साहूकारी पर लायसेंस व ब्याज दर निर्धारण से नकेल डाली

देश में साहूकारी लेन-देन परंपरा से चली आ रही है। यह मनी सर्कुलेशन की पुरातन व्यवस्था है। बैंकिंग व्यवस्था के पहले साहूकार ही कर्ज देने वाली एक संस्था होता था। कर्ज मामूली शर्त और मामूली ब्याज दर पर दे दिया जाता था। कर्ज की गारंटी बतौर आभूषण, बर्तन, जमीन मकान आदि गिरवी रखना होता है। इसकी एवज में साहूकार आपसी पहचान के जरिये कर्ज देता है। आज तमाम आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था स्थापित होने के बावजूद अभी भी शहरी और ग्रामीण इलाकों में साहूकारी परंपरा की व्यवस्था कायम है। छोटा व्यापार करने वाले, छोटी किसानी करने वाले किसान साहूकार से कर्ज विशेष काम या फसल की बिजाई के लिए लिया जाता है। अब पैसेवाला बनने की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में साहूकारी किसानों की जमीन हड़पने और ब्याज खोरी का जरिया बन गई। १० फीसदी तक ब्याज और न देने वाले पर रंगदारी उसकी जमीन मकान पर कब्जे का जरिया बन गई थी साहूकारी। अब मध्यप्रदेश सरकार ने साहूकारी की मनमानी व्यवस्था पर नियंत्रण पाने के लिए उस पर कानून लागू किया है। अब से ब्याज दर सरकार तय करेगी और साहूकारी का कारोबार करने वालों को लायसेंस लेना अनिवार्य बना दिया है। सरकार ने यह एक सराहनीय कदम उठाया है। देश में कई किसानों ने साहूकारी ब्याज के कारण आत्महत्या की। कई किसान साहूकारी ब्याज के कुचक्र में फंसकर अपनी जमीन मकान खो बैठे अब शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार ने साहूकारी का तो नियमितीकरण कर दिया है, लेकिन छोटे कारोबारी और किसान को कर्ज देने की वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। ग्रामीण सहकारी बैंकों को अब ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें छोटी जोत के किसान अपनी कीमती चल अचल संपत्ति को गिरवी रख लोन प्राप्त कर सकें। साहूकारी पर ब्याज निर्धारण अब शासन करेगा तो इस बात की पूरी आशंका है कि वे या तो कर्ज नहीं दे या अपनी शर्तों पर कर्ज दें। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट की एक बड़ी समस्या हो जाएगी। सरकार अब इसकी वैकल्पिक व्यवस्था अविलम्ब करना चाहिए। साहूकारी एक परंपरागत क्रेडिट का एक जरिया रही है। सरकार ने इसका नियमितीकरण किया है वह सराहनीय है, लेकिन सरकार इसकी वैकल्पिक व्यवस्था शीघ्र स्थापित करें। साहूकारी व्यवस्था में आई विकृति को दूर करना सरकार का काम था अब सरकार की ओर जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि वह इसकी वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करें।